ACM आमेर जयपुर

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम मनसुख राम

नाम न्यायालय

केस संख्या 66/24 TA

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16-5-25	पत्रावली प्रस्तुत। वि०फै०३५४ अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं किया है अत: जवाब बंद किया जाता है। उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। विवादित आराजी अविभाजित है तथा बंटवारे का विवादित है प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है अत: प्रा०पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मं. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:43:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.**

सहायक कलक्टर जयपुर (मोहर)

प्रार्थना पत्र संख्या– 66/2024

सीताराम पुत्र मांगू जाति अहीर निवासी आफरिया पचेरिया की ढाणी, ग्राम रायथल, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

बनाम

1. मनसुखराम पुत्र मांगू (मृतक दौराने वाद)
   1/1. धापू देवी पत्नी मनसुखराम
   1/2. नंदकिशोर उर्फ पप्पू पुत्र मनसुखराम
   1/3. नन्छूराम पुत्र मनसुखराम
   1/4. बिदामी देवी पुत्री मनसुखराम
   1/5. माली देवी पुत्री मनसुखराम
   1/6. मीरा देवी पुत्री मनसुखराम
   समस्त जाति अहीर, निवासी गाम रायथल, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
2. भगवती पत्नी राजेश कुमार जाति अहीर, निवासी ग्राम रायथल, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक कार्यालय जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
5. श्रवण कुमार यादव पुत्र लालूराम यादव
6. प्रभुदयाल पुत्र लालूराम यादव
   समस्त निवासी ग्राम रायथल, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

<u>अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र</u>

निर्णय दिनांक 16.04.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाके राजस्व ग्राम रायथल पटवार क्षेत्र रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर की [illegible] खसरा नम्बर 966 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 967 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा [illegible] 96[illegible]2 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 972/1280 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, [illegible] नंबर 972 [illegible] रकबा 0.4700 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.2500 हैक्टेयर स्थित है। [illegible] 1/3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित है। तथा शेष हिस्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अप्रार्थीगण का दर्ज अंकित है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। चूंकि वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग को, विक्रय–हस्तानांतरण एवं खुर्द–बुर्द करने एवं प्रार्थीगण को विशिष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:43:26 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

भू–भाग से बेदखल करने के लिए कोई विधिक–अधिकार हासिल नहीं है। चुंकि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 कानून को ताक में रख कर कानून को हाथ में लिया है। चुंकि अप्रार्थीगण गैर कानूनी तरीके से प्रार्थीग्ण को उसके खातेदारी व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है इसिलिए प्रार्थी वाद अधीन कृषि भूमि का कब्जे काश्त के मध्य नजर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में विधिक विभाजन करवा कर अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि को अपनी पृथक खातेदारी में दर्ज करवाने, राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक करवाने का अधिकारी है। बिनायदावा अंतिम रूप से दिनांक 25.08.2024 को तब पैदा हुआ जब अप्रार्थीगण ने बिना विधिक विभाजन करवाये ही प्रार्थी को वाद अधीन भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने, वाद अधीन भूमि के विशेष भू–भाग बाहुबल के आधार पर कब्जा करके कृषि से अकृषि में उपयोग करने हेतु कच्चा–पक्का निर्माण करने, पेड काटने तथा विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तानांतरण करके खुर्द–बुर्द करने की एलानियां धमकी दी, जो निरंतर जारी है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।विद्वान उभयपक्ष बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मुख्य अभिवचन रहा है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर मनबंट अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अप्रार्थीगण बिना विभाजन हुये कृषि भूमि पर मकान बना कर बेचान एवं कब्जा करना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। परन्तु प्रार्थी ने यह कही भी साबित नहीं किया की अप्रार्थीगण प्रार्थी के कोनसे हिस्से पर निर्माण अथवा बेचान कर रहे है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड सहखातेदार एवं काश्तकार है, एक सहखातेदार द्वारा, दुसरे सहखातेदार को पाबंद करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, जैसा कि न्यायिक दृष्टांत RRT 2016(1) PAGE 113 में प्रतिपादित किया है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:48:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर